रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 5, 1936
No. 450] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 620(अ). —केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) चयन समिति, खोजबीन समिति का गठन करेगी, जो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुभव और विशेष ज्ञान तथा विशेषज्ञता रखने वाले और व्यक्तियों के प्रवर्गों में से कम से कम सात व्यक्तियों से मिलकर बनेगी" ।

3. मूल नियमों के नियम 10 में, —

(क) उपनियम (1) में "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यक्तियों की सूची में से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(2) केंद्रीय सरकार ऐसी सहायता उपलब्ध कराएगी जो खोजबीन समिति द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपेक्षित की जाए ।

(3) खोजबीन समिति, व्यक्तियों की छटनी करने के प्रयोजन के लिए ऐसे छटनी मान अंगीकार कर सकेगी जो वह उपयुक्त समझे ।";

(ग) उपनियम (4) का लोप किया जाएगा ।

4. मूल नियमों के नियम 11 में, —

(क) उपनियम (1) में, "केंद्रीय सरकार से नियम 10 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्र उम्मीदवारों और अन्य आवेदकों की सूची की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "ऐसी अवधि के भीतर, जो चयन समिति द्वारा विनिश्चित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, —

(i) आरंभिक भाग में "खोजबीन समिति" शब्दों के स्थान पर, "खोजबीन समिति, यथासंभव" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "ऐसे पैनल की जिसमें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्विष्ट हों" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे पैनल की जिसमें भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्विष्ट हों" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 407/02/2014-एवीडी-IV(बी)]

पी.के.दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 31(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

IndiaCode

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of Section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Search Committee (Constitution, Terms and Conditions of appointment of members and the manner of selection of Panel of Names for appointment of Chairperson and Members of Lokpal) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Search Committee (Constitution, Terms and Conditions of appointment of members and the manner of selection of Panel of Names for appointment of Chairperson and Members of Lokpal) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Search Committee (Constitution, Terms and Conditions of appointment of members and the manner of selection of Panel of Names for appointment of Chairperson and Members of Lokpal) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The Selection Committee shall constitute the Search Committee consisting of at least seven persons of standing and having special knowledge and expertise in the fields and from the categories of persons specified in sub-section (3) of section 4 of the Act.".

3. In rule 10 of the principal rules, —

(a) in sub-rule (1), the words "from amongst the list of persons provided by the Central Government in the Department of Personnel and Training" shall be omitted;

(b) for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(2) The Central Government shall provide such assistance as may be required by the Search Committee in efficient discharge of its functions in accordance with the provisions of the Act.

(3) The Search Committee may, for the purpose of short-listing of persons, adopt such short-listing norms as it may consider appropriate.";

(c) sub-rule (4) shall be omitted.

4. In rule 11 of the principal rules,—

(a) in sub-rule (1), for the words, brackets and figures "within a period not exceeding thirty days from the date of receipt of the list of eligible candidates and other applicants referred to in sub-rule (2) of rule 10 from the Central Government", the words "within such period as may be decided by the Selection Committee" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2),—

(i) in the opening portion, for the words "The Search Committee shall", the words "The Search Committee shall, as far as possible," shall be substituted;

IndiaCode

(ii) in clause (b), for the words "a panel containing at least three times the number of vacancies advertised", the words "a panel containing names at least three times the number of vacancies to be filled" shall be substituted.

[F. No. 407/02/2014-AVD-IV(B)]

P.K. DAS, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 31(E), dated the 17th January, 2014.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.